न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— **सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :— **77 / प्रा.पत्र / 2018**

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये मोजी लाल कुम्भकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

श्री धर्मेन्द्र सिंह हाडा आ0 स्व0 कैलाश सिंह हाडा, मालिक,मैसर्स परदेशी किराना स्टोर, मैन बाजार, तालेडा, जिला बून्दी। निवासी—रेलवे स्टेशन रोड, इन्द्रा कॉलोनी, तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से :— श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से :— विद्वान अभिभाषक श्री कुलदीप सिंह

निर्णय

दिनांक: 26.03.2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री गिरिराज शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 25.02.2018 को समय दोपहर 01:30 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैन बाजार, तालेडा, स्थित, फर्म मैसर्स परदेशी किराना स्टोर पर पहुॅचा। वहां पर श्री धर्मेन्द्र सिंह हाडा आ0 स्व0 कैलाश सिंह हाडा, विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स / रजिस्ट्रेशन मैरे समक्ष प्रस्तुत किया।

2- खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण करने पर पाया गया कि अन्य खाद्य पदार्थ सहित फर्म पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **कचौरी** दुकान पर काउण्टर में लगभग 10 किलोग्राम विक्रय हेतु उपलब्ध थी, जो विक्रेता ने मैदा, बेसन, उडद दाल, सोफ, साबूत धनिया, काली मिर्च, लोंग, अजवाईन, जीरा, जायफल, जायपत्री, मिर्च

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

पावडर,नमक एवं **मुंगफली तेल** से विनिर्मित होना बताया। कचौरी में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म 5ए पर नमुना जांच हेतु लेने की लिखित सुचना देते हुऐ, एक 2 किलाग्राम साफ सुखी स्टील ट्रे में तुलवाकर, वास्ते जांच खरीदी। जिसकी कीमत विक्रेता को रू 200/— नगद देकर रसीद प्राप्त की।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **कचौरी** ,को स्टील चम्मच से बारीक कर चार कांच की साफ सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर—बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में बतौर परिरक्षक फॉर्मेलिन की 40—40 बून्दे डाली। प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेब्लों पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक यू—1244 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—2 खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बून्दी डा0 सुरेश चन्द जैन द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. **यू—999** नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार—चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहों के समक्ष मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहो एवं मैने भी चारो नमूना भागो पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहो ने हस्ताक्षर किये।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म न0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाईं जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग के साथ मय फार्म स0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2017/89 दिनांक 21.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 211/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/138 दिनांक 17.03.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय कि **कचौरी,, सबस्टेण्डर्ड (Substandard)** पाया गया। जॉच रिपोर्ट के अनुसार The sample of **Kachori(Prepared I Maida,Besan,Urad Dal, Feenal, Whole coriander, Black pepper, Clove, Ajowine, Jira, Jayfal,Jaypatri, Mirch powder,Salt&Groundnut Oil)"** bearing code no.and Sr. no. U-1244, of Designated officer cum The chief Medical&Health Officer Bundi does not conform to the prescribed standard (FOR GROUNDNUT OIL) and provisions of food Safety and standards (Food Product standards and Food Additive) Regulation, 2011.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

Hence sample is SUBSTANDARD under section 3(1)(zx) of Food Safety&Standard Act,2006 .

5. खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी द्वारा अनुसंधान कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/165 दिनांक 30.05.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत **सबस्टेण्डर्ड** खाद्य पदार्थ, **कचौरी**, का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर, धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन कर, धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध करने पर प्रकरण प्रस्तुत किया है।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुये।

7. खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक ने अवगत कराया कि प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होगा।

8. खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न हैः–

क्र. स.	दस्तावेज विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	न्यायनिर्णयन आवेदन	1–3
2.	गजट नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षैत्र आवंटन आदेश की फोटो प्रतियां	4–7
3.	फार्म न0 5 ए	8
4.	रसीद माल खरीद	9
5.	फर्द रिपोर्ट	10
6.	अभिहीत अधिकारी द्वारा खाद्य नमुना के 2 भाग व चौथा भाग की प्राप्त रसीद	11
7.	खाद्य विश्लेषक कोटा द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म न0 6 की द्वितीय प्रप्ति की प्राप्ति रसीदे।	12
8.	अभिहित अधिकारी द्वारा नमूने की जांच रिपोर्ट खाद्य कारोबार कर्ताओ को (रजिस्टर्ड डाक से) एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाये जाने बाबत लिखे पत्र की प्रति मय रजिस्ट्री रसीद संख्या A RR551699523IN दिनांक 22.03. 2018	13
9.	खाद्य विश्लेषक कोटा की नमूना की जांच रिपोर्ट।	14
10.	मैसर्स परदेशी किराना स्टोर तालेडा को खाद्य लाईसेन्स, एवं फोटो पहचान पत्र की प्रतिलिपी पेश करने बाबत लिखा पत्र।	15
11.	मैसर्स परदेशी किराना स्टोर तालेडा द्वारा पेश खाद्य लाईसेन्स, एवं फोटो पहचान पत्र की प्रतिलिपी	16–17
12.	अभिहीत अधिकारी बून्दी को प्रकरण से सम्बन्धित पत्रावली पेश करने बाबत् लिखा गया पत्र।	18

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

13.	अभिहीत अधिकारी बून्दी द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने बाबत् लिखा गया पत्र।	19
14.	इस्तगासे की एक अतिरिक्त प्रति मय जांच रिपोर्ट (अभियुक्त के लिये)।	20–23

9. हमने पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं कमांक यू–1244 की खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 211/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2018/138 दिनांक 07.03.2018 के अनुसार निम्न है:–

The sample to be '**Kachori**" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition for analysis and has been analysed on 06-03-2018 to 07-03-2018 and the result of its analysis in given below.

Analysis Report :-

Lable:- Loose sample Of kachori prepared In Groundnut Oil.

Opinion: The sample of "**Kachori (Prepared In Maida,Besan,Urad Dal, Feenal, Whole coriander, Black pepper, Clove, Ajowine, Jira, Jayfal,Jaypatri, Mirch powder,Salt&Groundnut Oilz)"** bearing Code No. and Sr. No. U-1244 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, **Does Not conform** to the prescribed Standard (**FOR GROUNDNUT OIL)** and provisions of food safety and standards (Food products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. Hence sample is **Sub Standard under section 3(1)(zx)** of Food Safety and Substandard Act, 2006.

{Section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act, 2006, defines "sub-standard" food as an article of food that does not meet the specified standards, but is not unsafe.}

10. खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ **कचौरी, सबस्टैण्डर्ड (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा **कचौरी सबस्टैण्डर्ड** का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है।

11. हालांकि उक्त प्रकरण में प्रचलित विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :– खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के उल्लंघन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

की दशा में **कचौरी सबस्टैण्डर्ड (Substandard)** में अधिकतम पांच लाख रूपये सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

12. अतः अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र सिंह हाडा आ0 स्व0 कैलाश सिंह हाडा, मालिक,मैसर्स परदेशी किराना स्टोर, मैन बाजार, तालेडा, जिला बून्दी। निवासी–रेलवे स्टेशन रोड, इन्द्रा कॉलोनी, तालेडा, जिला बून्दी को **कचौरी सबस्टैण्डर्ड (Substandard)** का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना राशि 20,000 रूपये (अक्षरे–बीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद (0210–04–800–03–00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावें। आदेश की तामील तहसीलदार बून्दी द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा को लिखाया जाकर आज दिनांक 26.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी